न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी
हेमराज गुर्जर RAS

प्रकरण संख्या –77 / 2014
दायर दिनांक –08.09.2014

सीसीएमएस नं0 2014 / 00365

1 सुजानसिंह उम्र 60 साल
2 बलवीरसिंह उम्र 55 साल } पिसरान– सुरजमल
3 शिवदयाल उम्र 50 साल
4 वीरेन्द्र उम्र 28 साल पुत्र मुंशी
5 रूमाली उम्र 60 साल बेवा मुंशी
6 मु0 बीरमा
7 मु0 सुपेदी
8 मु0 रूपाबाई } पिसरान– मुंशी
9 मु0 कदम
10 मु0 सुनीता
11 दलगंजी पुत्र तुईराम
12 मु0 मछला
13 मु0 बन्ता } पुत्रियॉ– शकर
14 मु0 बबली
15 मु0 पीता
16 मु0 भवरकोर बेवा शंकर

} जाति गुर्जर निवासी रींझवास तहसील– हिण्डौन जिला– करौली

–––––सायलान

बनाम

मूली पुत्र चतरे उम्र 75 साल जाति गुर्जर निवासी रींझवास तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली (राज0)

––––––गैरसायल

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– 1. श्री मुरारी लाल करसौलिया अधिवक्ता सायल

2. गैरसायलान 1 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक :–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण [illegible] प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नं0 879 रकबा 10 [illegible] स्थित [illegible] तहसील हिण्डौन जिसके मौजूदा खसरा नम्बरान सेटिलमेंट कर्मचारियों द्वारा मौजूदा खसरा नं0 [illegible] रकबा 21 ऐयर, 900 रकबा 26 ऐयर, 920 रकबा 44 ऐयर, 921 रकबा 40 ऐयर, 926 रकबा 21 ऐयर गैरमुमकिन नाला खसरा नं0 927 रकबा 32 ऐयर, 929 रकबा 32 ऐयर कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:26 IST
Reason: SelfAttested

किता 8 कुल रकवा 2.56 है0 ग्राम रींझवारा तहसील हिण्डौन कायम किया है। साबिक व मौजूदा खातेदारी सायलान संख्यार 1 ता 3 बहिस्सा 1/4, सायल सं0 4 ता 10 बहिस्सा 1/4 सायल सं0 11 बहिस्सा 1/4 तथा सायल सं0 12 ता 16 बहिस्सा के रिकार्डेड खातेदार हैं, और आराजीयात पर बाहमी तकारमे के आधार पर अपने अपने हिस्से पर काबिज एवं दखील हैं।

आराजी साबिक खसरा नं0 880 रकवा 3 बीघा 8 बिस्वा जिसके सेटिलमेंट विभाग द्वारा मोजूदा खसरा नंबरान 930 रकवा 30 ऐयर व खसरा नं0 931 रकवा 46 ऐयर किता 2 रकवा 76 ऐयर स्थित ग्राम रींझवारा तहसील हिण्डौन कायम कर गैरसायल की खातेदारी में दर्ज किया गया है। साबिक सीट व मौके पर सायलान की आराजी साबिक खसरा नंबर लम्बाई उत्तर दक्षिण है यानि खसरा नं0 879 के उत्तर में खसरा नं0 878 व दक्षिण में खसरा नं0 880 है, जबकि सीट में मौजूदा में लम्बाई पूर्व पश्चिम बना दी है यानि सायलान की खातेदारी के खेत खसरा नं0 के पश्चिम में खसरा नं0 901 जो साबिक खसरा नं0 878 से बना है। तथा पूर्व में खसरा नं0 931 जिसे साबिक खसरा नं0 880 बनाया गया है। जो किसी भी प्रकार संभव नहीं है। साबिक सीट में तरफ पूर्व गैरमुमकिन नदी व तलाई गयी है, और मोके पर भी नदी पूर्व में दर्ज की गयी है। इसलिये सीट मोजूदा साबिक व मोके से बताई भिन्न है।

आराजीयात के नक्शा सायलान व गैरसायलाना मोंके के कतई भिन्न है। जैसे कि खसरा नं0 921 रकवा 40 ऐयर जो देखने पर खसरा नं0 921 से करीब 3 गुना बडा प्रतीत होता है। सीट का पैमाना एक संन्टीमीटर बराबर 40 मीटर की नाप से भी सीट भिन्न है। इसलिये सीट मोजूदा मोके के आधार पर दुरूस्त फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। साबिक सीट में साबिक खसरा नं0 880 सायलान के खेत खसरा नं0 879 के दक्षिण में रहा है। मोके पर भी आज दक्षिण में है। उसे जहॉ पर मोके पर खसरा नं0 880 है, वहॉ पर नहीं बनाकर खसरा नं0 930 व 931 के रूप में बना दिया है। जो साय[illegible] कब्जा काश्त की आराजी हमेशा से रही है, और भी मोके पर [illegible] गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर गैरसायल अप[illegible]म्बर 880 के स्थान को ही काश्त कर ही रखा है। साथ ही गलत इन्द्राज का [illegible] लाभ उठाकर खसरा नं0 930 व 931 पर भी कब्जा करने पर आमादा है। जिससे गॉव में विशेष तलाव व्याप्त है, और आदिमी मरने की नौबत आ रही है। साबिक व मोजूदा सीट की चोडाई देखने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:26 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा एक दूसरे के ऊपर रखने पर सीट में प्रदर्शित सीमा स्तम्भ मुस्तकल बिन्दु का मिलान करने पर दिशा गलत होना तो बखूबी साबित है, ही साथ ही सीमा स्तम्भों के स्थान भी परिवर्तित कर दिये है। पहले मुस्तकिन बिन्दु साबिक खसरा नं0 881 के नीचे था, अब उससे बहुत दूर खसरा नं0 880 के नीचे बनाया है। साबिक खसरा नं0 880 की चोडाई एक सेन्टीमीटर है, और सेटिलमेंट द्वारा उक्त खसरा नं0 से तरमीम कर बनाये गये खसरा नं0 931 अकेले की चोडाई 1.2 सेन्टीमीटर और खसरा नं0 930 व 931 की चोडाई सही 2 सेन्टीमीटर दर्ज की है। जो किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। यानि खसरा नं0 930 सम्पूर्ण सायलान की खातेदारी में तथा खसरा नं0 931 में करीब 8 मीटर चोडाई व पूरी लम्बाई सायलान की जमीन होना बखूबी साबित है। ईस प्रकार सीट मोजूदा मोका व साबिक से भिन्न होने के फलस्वरूप दुरूस्त फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। सायलान के साबिक खेत खसरा नं0 879 पूर्व में 20 बीघा था मगर उसका 10 बीघा रकबा तरफ पूर्व गंभीर नदी का हिस्सा साबिक सीट में तरमीम कर दिया गया जो अब सीट मोजूदा में दर्शाया ही नहीं गया है। सायलान का खेत खसरा नं0 879 नदी की तरफ होने के कारण निचाई पर है तथा साबिक खसरा नं0 883, 884 ऊॅचाई पर है खसरा नं0 883 के दक्षिण में होकर एक नाला नदी की तरफ से हपूर्व की तरफ आता है। जो सायलान के खेत के मध्य में स्थित है। उक्त नाले को मोजूदा सीट में खसरा नं0 926 दर्शाया गया है और पश्चिम में पूर्व की तरफ भी दर्शाया गया है। और नाले के दानों तरफ सायलान की खातेदारी 4–4 खपेत भी दर्शाया है। मगर खसरा नं0 930 व 931 की खातेदारी सायलान के स्थान पर गैरसायलान सं0 1 के नाम गलत तरमीम की है। इसलिये रेवन्यू रिकोर्ड मोके के मुताबिक तरमीम फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। सेटिलमेंट विभाग द्वारा सीट मोजूदा में जहॉ पर खसरा नं0 930 व 931 दर्शाया है। वहॉ पर सेटिलमेंट पूर्व व उसके बाद में गैरसायल का कमी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा, ना अब है। मगर सेटिलमेंट विभाग की गलती से गलत तरमीम का फायदा उठाकर सायलान की जगह पर गैरसायल व उसका परिवार डण्डे के ल पर कब्जा करने का इरादा है। इसलिये सीट व रेवन्यू रिकोर्ड मोका व साबिक के अनुसार दुरुस्त करना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:26 IST
Reason: SelfAttested

बाका दिनांक 11.07.2014 को सायलान के खेत जिनमें खसरा नं0 930 व 931 भी शामिल है, में खडी फसल बाजरा, मसीना, को पुनः जुताई करने की नियत से

ट्रेक्टर लेकर मय हमराहीयान मोके पर आ गये सायलान को पता चलने पर सायलान द्वारा खडी फसल जोतने को मना किया तो गैरसायल व उसके लडकों ने कहा कि खेत हमारे नाम है। हम उन्हे जोतेंगे। मोके पर काफी लोग एकत्रित हो गये जिन्होंने गैरसायल सं0 व उसके परिवार को सम्झाया कि इस जगह को तुकने पहले कभी नहीं जोता बोया अब ऐसी क्या जरूरत पडी है तो उन्होंने बताया कि हमने पटवारी गिरदावरों से जॉच करवा दी है। हम जिस जमीन को जोत बो रहे हैं। वह मोके पर तो है मगर हमारे नाम नहीं है। इसलिये हम तो साढे तीन बीघा के स्थान पर 7 बीघा जोतेंगे। मोके पर उपस्थित लोगों ने समझाने का भरसक प्रयास किया कि दोनों पक्ष अदालत में जाकर अपनी अपनी रीट में दुरूस्ती करवा लो तो गैरसायल ने कहा कि हमारी जमीन तो भरतपुर जिले में बतला दी है। हम कानूनी पचेड में नहीं पडना चाहते हैं। हमतो जहॉ हमारा नाम हैं वहॉ पर जबरन कब्जा करेंगे। इस प्रकार यदि गैरसायलान अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार होना संभव नहीं है। अगर गैरसायल अपने उक्त गैरकानूनी मंसूवे में कामयाब हो गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार होना इन टर्मस ऑफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी। जबकि गैरसायल कोपा बंदपर मानेसे उसे कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है। प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सुन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायल को जरिये आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायल आराजी खसरा नं0 899, 900, 920, 925, 927, 929, 930, 931 किता दस रकवा 2.50 है0 स्थित ग्राम रींझवास तहसील हिण्डौन जो सायलान के कब्जे काश्त की आराजीयात है में गैरसायल मजाहमत मदाखलत नहीं करें। सायलान को बेदखल नहीं करें। रहन वय नहीं करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें नाही किसी अन्य से करावें। जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकोर्ड व मोके की स्थिाति यथावत बनाये रखें।

गैरसायलान को जरिये [illegible] गैरसायल बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 27.11.2019 [illegible] गैरसायल के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:26 IST
Reason: SelfAttested

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2067–70 खाता संख्या 206, 291 नक्शा ट्रैस, वाके ग्राम रींझवास तहसील हिण्डौन पेश किये।

प्रकरण में एकपक्षीय वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि उक्त विवादित आराजी खातेदारी भूमि खसरा नं0 899, 900, 920, 925, 927, 929, 930, 931 किता दस रकवा 2.50 है0 स्थित ग्राम रींझवास तहसील हिण्डौन जो सायलान के कब्जे काश्त की आराजीयात है में गैरसायल मजाहमत मदाखलत नहीं करें। सायलान को बेदखल नहीं करें। रहन बय नहीं करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें नाही किसी अन्य से करावें। जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकोर्ड व मोके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

हमने एकपक्षीय वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2067–70 खाता संख्या 206, 291 नक्शा ट्रैस, वाके ग्राम रींझवास तहसील हिण्डौन का सायलान एवं गैरसायल खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। और संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे।ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं के कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है।इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण

खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन 22/11/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:26 IST
Reason: SelfAttested